बलजिंदर सिंह उर्फ बिट्टू

बनाम

पंजाब राज्य

(आपराधिक अपील संख्या-1878/2011)

सितंबर 28,2011

[सिरिएक जोसेफ और टी. एस. ठाकुर, न्यायाधीशगण]

दंड संहिता, 1860 - धारा 326 और 324 - अपीलार्थी की दोषसिद्धि- अपीलार्थी को निचली अदालतों द्वारा धारा 326 के तहत दंडनीय अपराध किए जाने पर चार साल की अवधि का कठोर कारावास और 5000 रुपये के जुर्माने और धारा 324 के तहत दंडनीय अपराध किए जाने पर दो साल के कठोर कारावास के साथ 2000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई।

अपील में, अभिनिर्धारित:

अभिलेख पर मौजूद सामग्री से यह स्पष्ट है कि घटना के परिणामस्वरूप दोनों पक्षों को चोटें आईं और यह घटना अचानक लड़ाई के कारण हुई, लगी चोटों की प्रकृति, अभियुक्त - अपीलकर्ता के किसी भी आपराधिक इतिहास की अनुपस्थिति और घटना के होने के बाद से जो अवधि बीत चुकी है, सभी ने अपीलकर्ता को दी गई सजा में उचित बदलाव की मांग की - धारा 326 के तहत अपीलकर्ता को दी गई सजा चार साल के कठोर कारावास से घटाकर दो साल के कठोर कारावास में बदल दिया गया और जुर्माने की राशि 5,000/- रूपये से बढ़ाकर 50,000 रूपये की गई है। हालांकि, धारा 324 के तहत सजा और जुर्माना बरकरार रखा गया है।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या- 1878/2011

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय,चंडीगढ़ के आपराधिक अपील संख्या-375/2000 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 5.10.2010 से।

महाबीर सिंह, विक्रम चौधरी, निखिल जैन और प्रीति सिंह: अपीलकर्ता की ओर से

हरेंद्र सिंह, संदीप केआर मिश्रा और कुलदीप सिंह : प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधीश टी.एस.ठाकुर,जे. द्वारा पारित किया गया :

<u>आदेश</u>

1. अनुमति स्वीकार की गई ।

2. यह अपील पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ द्वारा 5 अक्टूबर, 2010 को पारित एक आदेश से उत्पन्न हुई है, जिसमे अपीलकर्ता को दोषी ठहराया गया और भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के तहत दंडनीय अपराध के लिए चार वर्ष का कठोर कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने और भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दो साल का कठोर कारावास और 2,000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई ।

3. जब 11 अप्रैल, 2011 को विशेष अनुमति याचिका स्वीकृति के लिए आई तो इस न्यायालय द्वारा केवल अपीलकर्ता को दी गई सजा के प्रश्न पर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया गया था। तदनुसार, हमने अपीलकर्ता को दी गई सजा की मात्रा पर पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

4. विचाराधीन घटना के बारे में कहा जाता है कि यह जुलाई, 1994 की शुरुआत में हुई थी। घटना की उत्पत्ति में पूर्वचिन्तन या अन्य आपराधिक पहलुओं का

कोई तत्व नहीं है। अभियोजन पक्ष के अनुसार यह शिकायतकर्ता की गाड़ी के भूपिंदर सिंह और अपीलकर्ता बलजिंदर सिंह के पिता नत्था सिंह के धान के खेत में अनजाने और हानिरहित तरीके से भटक जाने से उत्पन्न हुआ था। भाई इस बात से क्रोधित थे कि उन्हें लगा कि यह उनके और उनके पिता के स्वामित्व वाले खेत में अतिक्रमण है।

उन्होंने शिकायतकर्ता, गाड़ी के मालिक कुलविंदर सिंह को पकड़ लिया और पीटा, जिसकी दाहिनी छाती पर चाकू से दो वार किए गए और स्कंधास्थि क्षेत्र में एक वार किया गया। सह-अभियुक्त भूपिंदर सिंह पर कुलविंदर सिंह की पीठ पर एक मुक्का मारने का भी आरोप था। इस घटना को बचन सिंह पीडब्लू-2 और सुखचैन सिंह ने देखा, जिन्होंने उनमें से किसी को भी चोट लगने से बचाने के लिए हस्तक्षेप किया। विचारण में अभियोजन पक्ष ने सबूत पेश किए जिनमें कुलविंदर सिंह, पीडब्लू - 1, बचन सिंह, पीडब्लू 2 और डॉ. के.के. शर्मा, पीडब्लू-3 के बयान शामिल थे। उक्त गवाहों के बयान पर भरोसा करते हुए, विचारण न्यायालय ने दोनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 324 और 326 के तहत अपराध का दोषी पाया और क्रमशः भारतीय दंड संहिता की धारा 326 और 324 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए क्रमशः .5,000/- और 2,000/- रुपये के जुर्माने के अलावा चार साल और दो साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। जहां तक भूपिंदर सिंह का प्रश्न है, विचारण न्यायालय ने उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 326 सपठित धारा 34 के तहत तीन साल की कठोर कारावास और धारा 324 सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता के तहत एक साल की कठोर कारावास, इसके अलावा पूर्ववर्ती अपराध के लिए 2,000/- रुपये और पश्चातवर्ती अपराध के लिए 1,000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

5. उच्च न्यायालय ने आरोपी द्वारा दायर अपील में भूपिंदर सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया, लेकिन अपीलकर्ता को दी गई सजा बरकरार रखी। उच्च न्यायालय ने पाया कि डॉ. रतनजीत सिंह, डीडब्ल्यू - 1 ने बयान दिया था और

प्रमाणित किया था कि अपीलकर्ता को तीन चोटें लगी थीं, जिनमें से एक सिर के बाईं ओर गंभीर चोट बताई गई है। किसी भी एक्स-रे जांच के अभाव में और अपीलकर्ता को लगे चीरे के किसी भी विश्लेषण के अभाव में, चोट को केवल सतही मानना पड़ा था। तथ्य यह है कि घटना के परिणामस्वरूप दोनों पक्षों को चोटें आईं, यह अभिलेख पर मौजूद सामग्री से स्पष्ट है। इसमें एक तथ्य यह भी जोड़ा गया है कि यह घटना अचानक हुई लड़ाई के कारण घटी। कारित की गई चोटों की प्रकृति, आरोपी अपीलकर्ता के किसी भी आपराधिक इतिहास की अनुपस्थिति, और घटना के बाद से बीत चुकी अवधि, सभी अपीलकर्ता को दी गई सजा में उचित बदलाव की मांग करते हैं। हमारी यह भी राय है कि जहां भा.द.स. की धारा 326 के तहत अपराध के लिए सजा को चार साल के कठोर कारावास से घटाकर दो साल के कठोर कारावास किया जा सकता है, वहीं जुर्माने की राशि 5,000/- रुपये से बढ़ाकर 50,000/- रुपये तक की जा सकती है। हालाँकि, भा.द.स. की धारा 324 के तहत सजा और जुर्माना अपरिवर्तित रहेगा। कुलविंदर सिंह को लगी चोटों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, उन चोटों के इलाज के संबंध में होने वाले चिकित्सा व्यय को ध्यान में रखते हुए, हम हमले के पीड़ित कुलविंदर सिंह को द.प्र.स. की धारा 357 के तहत जुर्माने की राशि में से 50,000 रुपये मुआवजे के रूप में देना न्यायोचित और उचित मानते हैं। हमारे विचार में उपरोक्त संशोधन न्याय के उद्देश्य को पूरा करेगा।

6. परिणामस्वरूप, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं, लेकिन केवल आंशिक रूप से और उस सीमा तक कि धारा 326 भा.द.स. के तहत अपीलकर्ता को दी गई सजा चार साल के कठोर कारावास से घटाकर 50,000 रुपये के जुर्माने के साथ दो साल के कठोर कारावास की होगी। जुर्माने का भुगतान न करने की स्थिति में अपीलकर्ता को एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए कठोर कारावास भुगतना होगा। हालाँकि, अपीलकर्ता को धारा 324 के तहत दी गई कारावास और जुर्माने की सजा

बरकरार रखी जाती है। हम आगे निर्देश देते हैं कि इस प्रकरण में अपीलकर्ता से जुर्माना राशि वसूल की जाए उसमे से कुलविंदर सिंह को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 के तहत मुआवजे के रूप में 50,000/- रुपये का भुगतान किया जावे।

एन.जे.

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' के जरिए अनुवादक विनोद कुमार उज्जैनिया द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा ।